

अति – आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर-302033 फोन नं. 0141- 2796625 मेल-Rajunani444@yahoo.in

क्रमांक: सामा./चु.आ.सं./2018-19/ 2074-75

दिनांक:- 13/03/19

समस्त यूनानी चिकित्साधिकारी,  
राजकीय यूनानी चिकित्सालय/औषधालय,  
सीएचसी/पीएचसी/जिला चिकित्सालय  
..... |

विषय :- आगामी लोकसभा आम चुनाव, 2019 – आदर्श आचार संहिता के लागू होने के संबंध में ।  
प्रसंग:- संयुक्त शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की ई-मेल  
दिनांक 11.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निर्वाचन आयोग, भारत सरकार , नई दिल्ली द्वारा आगामी लोकसभा आम चुनाव, 2019 की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 10.03.2019 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिसके दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर द्वारा समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,जयपुर को निर्देशन के संबंध में इस विभाग के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता की पूर्वानुमति के बिना समस्त प्रकृति के अवकाश/मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। अतः आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करे।

उक्त आदेश निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।

दुआ खॉ

(मुहम्मद असलम खॉ)

निदेशक

दिनांक:- 13/03/19

क्रमांक: सामा./ चु.आ.सं./2018-19/ 2074-75  
प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी विभागीय वेबसाईट को देकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

Jim ann 42

सहायक निदेशक